



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 670 राँची, शुक्रवार, 19 कार्तिक, 1945 (श०)
10 नवम्बर, 2023 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

7 नवम्बर, 2023

संख्या-13/पी5-1001/2011-5212--सी0, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-I-15011/10/2012-IPS-I, दिनांक-11.10.2017, दिनांक-14.03.2018 तथा दिनांक-13.04.2018 द्वारा सेलेक्ट लिस्ट-2009, 2010 एवं 2011 के विरुद्ध राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नत पदाधिकारियों के वरीयता वर्ष/ बैच का पुनर्निर्धारण किया गया है तथा वर्ष 2002 से 2007 बैच आवंटित भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को वरीयता वर्ष/बैच में एक वर्ष की वरीयता का लाभ प्रदान किया गया है। पुनर्निर्धारित वरीयता/वर्ष आवंटन के फलस्वरूप एक वर्ष पूर्व का बैच आवंटित होने के कारण आच्छादित पदाधिकारियों की प्रोन्नति हेतु अनुमान्यता एक वर्ष पूर्व की तिथि से हो जाती है ।

अतः वरीयता वर्ष/बैच पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप निम्नांकित पदाधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित रूप से पुलिस उप-महानिरीक्षक कोटि में वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है:-

क्र०	पदाधिकारी का नाम	पूर्व आवंटित बैच/ संशोधित बैच	सेवानिवृति की तिथि	संशोधित वरीयता के अनुसार पुलिस उप-महानिरीक्षक कोटि में वैचारिक प्रोन्नति की तिथि
1	श्री प्रशान्त कुमार करण	2003/2002	30.06.2016	दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।
